

/160659/2023

12/10/23

ई०पत्रावली सं०-62869

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक

10 अक्टूबर, 2023

विषय-राज्य योजना वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत नारसन-हरजौली जट्ट-मुण्डलाना-लण्ढौरा-जौरासी-बुड्ढाहेडी- बड़ेडी राजपुताना मार्ग के कि०मी० 21 में पड़ने वाले आर०ओ०बी० के पुनर्निर्माण कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक-6448/09 (371) याता०-(क्ष०का०)/2023, दिनांक 29.09.2023, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ करें, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र-खानपुर में नारसन-हरजौली-जट्टमुण्डलाना-लण्ढौरा-जौरासी-बुड्ढाहेडी राजपुताना मार्ग के कि०मी० 21 में स्थित रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के पुनर्निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई कुल धनराशि ₹297.20 लाख के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे विभाग को पूर्व में आवंटित की गई धनराशि ₹ 79.53 लाख में से रेलवे विभाग के पास अवशेष धनराशि ₹ 69.60 लाख को घटाते हुए ₹ 227.60 (₹ दो करोड़ सत्ताईस लाख साठ हजार मात्र) लाख की धनराशि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के पूंजीगत पक्ष में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054-04-337-03-0301-चालू निर्माण कार्य मद में प्राविधानित तथा आपके निर्वर्तन में रखी गयी धनराशि से रेलवे विभाग को आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आर०ओ०बी० के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे विभाग को पूर्व में आवंटित धनराशि ₹ 79.53 लाख के सापेक्ष रेलवे विभाग द्वारा प्राविधानित कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तथा पूर्व आवंटित धनराशि ₹ 79.53 लाख में से ₹ 69.60 लाख की धनराशि रेलवे के पास अवशेष है। उक्त आर.ओ.बी. रेलवे विभाग की भूमि पर प्रस्तावित है। मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रेलवे विभाग द्वारा ही प्रस्तावित आर.ओ.बी. का निर्माण कराया जाना है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सेतु निर्माण में प्रयुक्त होने वाली धनराशि रेलवे विभाग को आवंटित की जानी है। उक्त आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु रेलवे विभाग द्वारा आगणन समयान्तर्गत उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रशूनगत कार्य में विलम्ब हुआ है। अतः अपने स्तर से रेलवे विभाग को यह स्पष्ट तौर पर अवगत करा दिया जाय कि उक्त धनावंटन के पश्चात आर.ओ.बी. निर्माण कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

59/2023

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 10-10-2023 18:21:40

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता (उत्तराखण्ड शासन), मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पी0आई0एल० संख्या-12/2023 सुभाष चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. मण्डल अभियन्ता स्तर-1, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. श्री जे०सी० पाण्डेय, स्थायी अधिवक्ता (उत्तराखण्ड शासन), मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके फैक्स पत्र दिनांक 27.09.2023 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तिथि में उक्तानुसार अवगत कराये जाने हेतु।
5. सहायक मण्डल अभियन्ता, नोडल अथॉरिटी, उत्तर रेलवे, रूड़की।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि पी0आई0एल० संख्या-12/2023 सुभाष चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उक्तानुसार अवगत कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: eicpwduk@nic.in

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक- 1202 / 20 याता0क'नियो0-1 / 2023

दिनांक- 10.10.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून